भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3596
उत्तर देने की तारीख :20.12.2021

समग्र शिक्षा अभियान

†3596. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान का पुनर्गठन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुनर्गठित परियोजना रूपरेखा और मानदंडों को सार्वजनिक किया जा सकता है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अपनाई गई परामर्श प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;और

(घ) नई रूपरेखा का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ संरेखित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और सीखने की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बना सके। यह योजना 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखी गई है।

समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, लाइन मंत्रालयों, स्वायत्त निकायों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई और संशोधन के क्षेत्रों की खोज, कार्यक्रम में संशोधन और वित्तीय मानदंडों में संशोधन और हस्तक्षेपों को जोड़ने के लिए सुझाव/टिप्पणियां मांगी गईं।संशोधित समग्र शिक्षा योजना के पुनर्रचित/पुन: डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमऔर वित्तीय मानदंडों को सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है। पुन: डिज़ाइन की गई समग्र शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी https://samagra.education.gov.in/docs/samagra_shiksha.pdfपर उपलब्ध है।

यह योजना राज्य स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (एसआईएस) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना में हस्तक्षेपों के अनुकुलतम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित व्यापक निगरानी और मूल्यांकन तंत्र भी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई), शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+), परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा प्रबंधन प्रणाली (प्रबंध), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), लेखापरीक्षा तंत्र, व्यापक समीक्षा मिशन (सीआरएम), सामाजिक लेखा परीक्षा, निगरानी संस्थानों और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से तीसरे पक्ष की निगरानीशामिल हैं।

वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर समग्र शिक्षा मैनुअल में फंड प्रवाह व्यवस्था, लेखा, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा, बाहरी लेखा परीक्षा, खरीद प्रक्रियाओं आदि पर विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं।राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन समितियों की वार्षिक रिपोर्ट भी हर साल संसद के पटल पर रखी जाती है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।

*****